यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, बाजपुर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, बाजपुर के माह 06.2016 से 07.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 03.08.2018 से 07.08.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

<u>भाग</u>-।

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरविन्द शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं मो॰ सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 10.06.16 से 15.06.16 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 03/2012 से 05/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2016 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई द्वारा रोजगार परक व्यवसायो जैसे फिटर, कोपा आदि मे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा कौशल दक्षता हेतु निकटवर्ती स्थानो मे विभिन्न कम्पनियो/ प्रतिष्ठानो मे सम्पर्क कर अप्रेंत्सिप हेतु भेजा जाता है। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मे बाजपुर क्षेत्र शामिल है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
		स्थापना	**गैर-स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
1									
2	**2016-17**	**0.00**	**0.00**	**52.79**	**42.84**	**6.73**	**5.40**	**-**	**11.28**
3	**2017-18**	**0.00**	**0.00**	**65.61**	**61.16**	**3.90**	**2.78**	**-**	**5.57**
4	**2018-19**	**0.00**	**0.00**	**58.98**	**19.16**	**7.18**	**6.04**	**-**	**-**

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक आवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति(आवंटन)	विविध प्राप्तियाँ(ब्याज आदि)	कुल प्राप्ति	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन , उत्तराखंड, देहरादून

b). निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

c). अपर निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

d). उप निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

e). प्रधानाचार्य, राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, बाजपुर

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 06.2016 से 07.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, बाजपुर** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी I यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, बाजपुर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12.2016 एवं 03.2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया I प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'ब'</u>

प्रस्तर:1- योजना के दिशा निर्देशों के विरूद्ध रु. 85.00 लाख के निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन।

कार्यालय प्रधानाचार्य आईटीआई, बाजपुर की केंद्र सरकार की योजना 'सार्वजनिक - निजी भागीदारी से उच्चीकरन के अंतर्गत रु 85.00 लाख के कराये गए सिविल वर्क पत्रावली की जांच की गयी। जांच में भवन निर्माण के कार्य दो फेज में पूरी करायी गयी जिसका विवरण निम्नवत पाये गए -

(रु लाख में)

क्रम सं	ठेकेदार का विवरण	आवंटित लागत	कार्य विवरण	आवंटित अवधि
1.	Dr. Narendra Khatri, Bazpur, Udham Singh Nagar,Award No.IMC/Bzp/Bldg/01/2014-15 Dated 26.05.2014	45.00 lakh	Building Construction work of IMC ITI, Bazpur	26.05.2014
2.	Dr. Narendra Khatri, Bazpur, Udham Singh Nagar,Award No.IMC/ITI/Bzp/2015-16, Dated 13.05.2015	40.10 lakh	Complete construction work of Building on Ground Floor	15.05.2015
	TOTAL	85.10 lakh		

उक्त कार्य के संचालन के लिए गठित इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी को वितीय अधिकार प्रदत करते हुये जारी गाइडलाइन के मुख्य अंश निम्नवत पाये गए -

1.गठित समिति में सचिव तथा अध्यक्ष के अतिरिक्त मनोनीत सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष प्राइवेट पार्टनर से तथा सचिव सार्वजनिक पार्टनर से जो प्रायः औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य होंगे तथा शासकीय दिशानिर्देशन के क्रियान्वयन में सचिव की भागीदारी की प्रमुखता होगी ।

2.वित्तीय तथा अधिप्राप्ति(Procurement) प्रक्रिया आईएमसी गाइडलाइंस में उल्लेखित पैरा के अनुरूप होगी ।

3.समिति की लेखापरीक्षा चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा निस्पादित करायी जाएगी तथा ऐसे अभिलेखों तक पहुँच का प्राधिकार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को भी होगी ।

संचालित आईटीआई बाजपुर में कार्यरत समिति द्वारा सिविल कार्यों के निस्पादन में वित्तीय नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किए जाने का प्रकरण पाया गया । गाइडलाइंस में सिविल कार्य निस्पादित कराने के शासकीय एजेंसी अथवा कंसल्टेंट तथा आउटसोर्से सेवा दोनों विकल्प निर्देशित थे, परंतु समिति ने निजी कंसल्टेंट तथा आउटसोर्से सेवा से सिविल कार्य का निस्पाद्न कराने का निर्णय ली । यह निर्णय तब संभव था जब शासकीय वयवस्था में कार्य हेतु अपेक्षित Expertise न हो जिसे करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी (भारत सरकार) की अनुमति आवश्यक थी (समान्य वित्तीय नियमावली-165) जिसे लेखा परीक्षा में नहीं पाया गया । कार्य रु 25.00 लाख से ऊपर होने के कारण Expression of Interest (EOI) के तहत व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन देते हुये कंसल्टेंट से प्राप्त Technical तथा Financial Bids का समिति द्वारा गठित Consultancy Evaluation Committee (CEC) द्वारा तकनीकी स्वीकृति

का परीक्षण कराकर तद्पश्चात Financial Bids की जांच में सफल बोलीदाता को Consultancy Contact के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए था (GFR - 174 & 175) तथा आईएमसी समिति द्वारा कंसल्टेंट तथा ठेकेदारों के कार्यों का निरंतर मोनिट्रिंग (GFR-177,185) किया जाना चाहिए था । परंतु, ऐसा किया जाना लेखापरीक्षा में नहीं पाया गया तथा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों में कंसल्टेंट का आगणन का तकनीकी परीक्षण नियमानुसार न कराकर समिति के स्तर से निम्नतर दर को आधार बनाकर स्वोकृति प्रदान कर दी गयी । नियमानुसार EOI के मामले में व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय स्तर के अखबार में निविदा सूचना प्रकाशित किया जाना चाहिय था, परंतु अभिलेखों की जांच में टेंडर नोटिफ़िकेशन का अमर उजाला अखबार काशीपुर संस्करण में प्रकाशन सम्बन्धी साक्ष्य प्राप्त हुआ ।

इस और इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि आईएमसी कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया तथा आईएमसी कमेटी द्वारा कार्य सम्पन्न कराया गया ।

उत्तर मान्य नहीं, गाइडलाइंस के अनुसार शासकीय दिशानिर्देशन के क्रियान्वयन मेँ सचिव की भागीदारी की प्रमुखता होगी परंतु लागू वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुये मनमाने ढंग से स्थानीय ठेकेदार को लाभ पहुंचाया गया तथा रु 45.00 लाख एवं रु 40.00 लाख के प्रकरण मेँ प्रतिस्पर्धा मेँ प्रतिभाग करने वाले समस्त ठेकेदार स्थानीय होने से भी इस बात की पुष्टि होती है की विज्ञापन राष्ट्रीय अखबार मेँ नहीं दिये गए। नियमसंगत प्राइवेट कंसल्टेंट तथा ठेकेदार का मानिटरिंग न होने से निर्मित भवन में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं किया जा सका । जब शासकीय एजेंसी के पास Expertise उपलब्ध था अथवा नहीं, बिना तलाशे वित्तीय नियमों के बारकियों को ध्यान मेँ न रखते हुए निजी क्षेत्र को कार्यदेश के तहत कार्य आबंटित करना इरादतन को दर्शाता है, जो उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम-74 के मानदंडो का भी स्पष्टतया उल्लंघन है।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान मेँ लाया जाता है।

भाग- 2(ब)

प्रस्तर:-2- वित्तीय नियमो के अनुपालन नही किए जाने के कारण धनराशि रु 55.65 लाख की सामग्रियों का क्रय किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियम 2008 के नियम 6(1) के अनुसार संबन्धित प्रशासनिक विभाग अथवा केंद्रीय क्रय संगठन (डीएसएसएनडी) द्वारा अधिप्राप्ति के लिए सामग्रीवार पात्र एवं सक्षम आपूर्तिकर्ताओ की सूचिया तैयार कर रखी जाएगी। संबन्धित विभाग इन सूचियो का आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकेंगे। इस प्रकार के अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओ को 'पंजीकृत आपूर्तिकर्ता' कहा जाएगा तथा इस प्रकार के पंजीकृत आपूर्तिकर्ता ही सीमित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से सामाग्री की अधिप्राप्ति हेतु प्रथम दृस्टिया पात्र होंगे। नियम संख्या 12(3) के अनुसार सीमित निविदा प्रक्रिया हेतु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए की प्रतिस्पर्धा के आधार पर अधिक अनुक्रियाशील अधिकतम अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओ को चिन्हित किया जाए। एसे आपूर्तिकर्ताओ को चिन्हित करने के लिए विज्ञापन, व्यापक परिचालन वाले प्रकाशनों, राष्ट्रीय समाचार पत्रो और संबन्धित अपूरितकर्ताओ के विभिन्न वेबसाइटो का उपयोग किया जा सकता है।

कार्यालय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, बाजपुर के मशीन एवं उपकरणो संबन्धित क्रय पत्रावली की जांच मे पाया गया कि पीपीपी योजना के तहत आईएमसी की तुलन पत्र 2016-17 के अनुसार धनराशि रु 55.65 लाख (वर्ष 2017 तक)के मशीनों एवं उपकरणो का क्रय किया गया। जांच मे पाया गया उक्त मशीनों एवं उपकरणो के क्रय किए जाने संबन्धित गठित समिति मेकोई वित्त का जानकार व्यक्ति शामिल नही किया गया तथा उक्त सामग्रियों का क्रय किए जाने हेतु विभिन्न फ़र्म से निविदाओ को आमंत्रित कर न्यूनतम निविदा के आधार सामग्रियों का क्रय किया गया जबकि उक्त नियमो के परिपेक्ष्य मे निविदा हेतु विभाग द्वारा अनुमोदित पंजीकृत आपूर्तिकर्ता (केंद्रीय क्रय संगठन अथवा विभाग द्वारा चिन्हित) को आमंत्रित कर प्रतिस्पर्धा के आधार पर न्यूनतम निविदादाता का चयन किया जाना था न कि डीजीएसएनडी/विभाग से चिन्हित न किए गए पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओ के बीच प्रतिस्पर्धा कर निविदाए प्रदान करनी थी।

चुकी उक्त मशीनों एवं उपकरणो हेतु धनराशि केन्द्र सरकार से एक मुश्त ऋण के रूप मे प्राप्त हुई थी जिसे व्यवसायो के उच्चीकारण पर किया जाना निर्धारित था इस प्रयोजन हेतु कोई विस्तृत वर्किंग प्लान तैयार कर उपकरणो एवं मशीनों का क्रय संबन्धित कोई अभिलेख लेखापरीक्षा मे पस्तुत नही किए गए। साथ ही जारी किए गए आपूर्ति आदेशो मे डीजीईटी मानको वाले उपकरणो एवं मशीनों का क्रय किए जाने संबन्धित विवरण नही था और न ही इस संबंध मे कोई प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। अभिलेखीय जांच मे तथ्य प्रकाश मे आया कि ऐसे अनुबंधित फर्म से मशीनों एवं उपकरणो का क्रय किया गया जिनका व्यवसाय का पंजीकरण/ नवीनीकरण अवधि अप्रभावी पायी गयी तथा क्रय किए गए उपकरणो एवं मशीनों के भौतिक सत्यापन रिपोर्ट/ demonstration / installation किए जाने संबन्धित साक्ष्य लेखापरीक्षा मे अप्रस्तुत पाये गया। स्टॉक पंजिका कि जांच मे पाया गया कि क्रय किए गए टूल्स एवं उपकरणो मे से अधिकांश उपकरणो एवं मशीनों को अनुदेशकों को issue नही किया गया जिस कारण उपकरण एवं मशीनों को निष्क्रिय अथवा अक्रियाशील किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया कि रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ बाजपुर मे पीपीपी योजना के अंतर्गत भारत सरकार दावरा जारी फ़ाईनेंसियाल एनड प्रॉक्यूरमेंट के पैरा 5(2) के अनुसार किया

गया है जिसमे सीमित निविदा एवं खुली निविदा के माध्यम से टूल एंड एकयुपमेंट क्रय किए जाने का प्रावधान है।

उत्तर मान्य नही है, क्योकि गाइड लाइन मे संस्थान को मात्र क्रय प्रणाली अपनाए जाने संबन्धित दिशानिर्देश का उल्लेख है, चूँकि सीमित निविदा के तहत अनुबंधित दर पर मशीन एवं टूल्स का क्रय किए जाने के प्रकरण है जो वित्तीय नियम (उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम 6(1) तथा सामान्य वित्तीय नियमावली) के अनुसार डीएसएसएनडी से अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओ को पंजीकृत आपूर्तिकर्ता कहा जायगा, से निविदा आमंत्रित न कर, भिन्न भिन्न स्थानो से भिन्न भिन्न फ़र्म द्वारा प्राप्त पंजीकरण के आधार पर निविदादाता को अवसर प्रदान किया गया जो वित्तीय नियमावली का उल्लंघन था साथ ही व्यवसायो के उच्चीकारण नही होने के कारण धनराशि रु 55.65 लाख की सामग्रियों को अक्रियाशील किया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:-1- अनियोजित ढंग से व्यय किए जाने के कारण आरक्षित 50% सीड मनी का प्रयोजन प्रभावित होने का प्रकरण पाया जाना।

As per the IMC guidelines:-

The interest free loan received by the IMC is kept in a separate bank account. The loan amount may be used as seed money which shall not exceed 50% of the total loan amount.

Memorandum of Agreement के अनुसार IMC while planning and executing various activities shall ensure that the balance fund including seed money and interest available does not exceed Rs. One crore or such amount as decided by the first party after 31st march 2016 and any balance beyond this amount may be prepaid to the central government.

कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बाजपुर के पीपीपी मोड द्वारा संचालित आईएमसी (Institute Management Committee) संबन्धित अभिलेखो की जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2010-11 मे धनराशि रु 2.50 करोड़ ब्याज रहित ऋण संस्थान को प्रदान किया गया था जिसका उदेश्य नए व्यवसायो का संचालन एवं संचालित व्यवसायो को उच्चिकृत (upgrade) किया जाना था। उक्त योजना के अंतर्गत अवमुक्त धनराशि की अधिकतम 50% धनराशि (अर्थात 1.25 करोड़) को सीडमनी के रूप मे उपयोग किया जा सकता था जिससे आईटीआई के उच्चिकृत हेतु सुधरीकरण आय आईएमसी समिति को प्राप्त हो सके। लेखापरीक्षा जांच के दौरान पाया गया कि समिति द्वारा उक्त दिशानिर्देशों के विपरीत एसडीआर/ एफ़डी का क्रियान्वयन किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

Sl.No.	STDR/LTDR No.	Date of Investment	Amount(Rs. In lakh)	Seed Money (%)
1	303-41579	02.12.2011	100.00	96% of total loan amount invest as seed money
2	303-41580	02.12.2011	80.00	
3	303-41581	02.12.2011	40.00	
4	303-41582	02.12.2011	20.00	
		Total	**240.00**	
5	303-43151	29.06.2016	75.00	56% of total loan amount invest as seed money
6	303-43152	29.06.2016	25.00	
7	303-43153	29.06.2016	20.00	
8	303-43154	29.06.2016	20.00	
		Total	**140.00**	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि समिति द्वारा दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुये ब्याज रहित ऋण की धनराशि (96% से 56%) नये व्यवसायो के संचालन/ उच्चीकरण पर व्यय न कर बैंक खाते मे जमा कर योजना के उदेशयों को प्रभावित कर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जाना प्रदर्शित हुआ। उक्त संस्थान कि जून 2018 की क्यूपीआर रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्तमान तक संस्थान मे स्थापित व्यवसाय मे से किसी भी व्यवसाय का up gradation समिति द्वारा नही किया गया एवं सितम्बर 2014 से मात्र एक एवं सितम्बर 2015 से तीन नये व्यवसाय, ऋण अवमुक्त किए जाने के 4 वर्ष के बाद संचालित किए गए। उक्त व्यवसाय एससीवीटी से संचालित पाये गए। वर्तमान तक समिति को 1.27 करोड़ ब्याज के रूप मे प्राप्त हुआ था जिसे उक्त दिशानिर्देश (MOA) के अनुसार भारत सरकार को अदा किया जाना (1.0 करोड़ ब्याज को छोडकर) था। आगे जांच के दौरान पाया गया कि वर्तमान तक ब्याज रहित ऋण 2.5 करोड़

के सापेक्ष धनराशि रु 2.35 करोड़ (94%) व्यय कर दी गयी तथा शेष धनराशि मात्र 14.35 लाख (ब्याज को छोडकर) बची हुई थी, जबकि संबन्धित यूबीआई खाता संख्या 524002010004369 का अंतिम अवशेष रु 85312/- पाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया गया कि आईएमसी को दी गयी धनराशि मे से न्यूनतम 50 लाख को सीडमनी के तौर पर रखे जाने का प्रावधान है लेकिन आईएमसी के पास यदि पैसा सरप्लस रहे तो सीड मनी को बढ़ाया जा सकता है जमा की गयी धनराशि से अर्जित ब्याज भी आईएमसी का होता है। योजना प्रारम्भ के ग्यारवे वर्ष से आईएमसी को 12.50 लाख प्रतिवर्ष की दर से योजना के तीसवे वर्ष तक वापिस किया जाना है। वर्तमान मे आईएमसी के खाते मे 1.20 करोड़ धनराशि उपलब्ध है इसी धनराशि से लोन की अदायगी सुनिश्चित की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि गाइड लाइंस के अनुसार अर्जित ब्याज 1 करोड़ से ऊपर की धनराशि भारत सरकार को तत्काल समर्पित किया जाना चाहिए तथा शेष राशि को ऋण अदायगी के लिए आरक्षित सीड मनी के रूप मे आरक्षित रखा जाना चाहिए था ऐसी दशा मे अब संस्थान के पास उच्चीकारण एवं सुधरिकरण हेतु कोई राशि बची हुई नही पायी गयी जिससे उच्चीकारण एवं भविष्य मे सुधरिकरन की क्रियान्वयन की जा सके फलत: इकाई के अविवेकपूर्ण ढंग से व्यय किए जाने के फलस्वरूप योजना का मूल उद्देश्य प्रभावित हुआ।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
25/2016-17	-	1,2	1	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
-	-	-	-	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बाजपुर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री जसवंत सिंह जलाल	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ बाजपुर	विगत लेखापरीक्षा से 13.07.2017 तक
श्री अनिल कुमार त्रिपाठी	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰बाजपुर	13.07.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, बाजपुर** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.